रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)—72

REGISTERED No. D. (D)-72

2/11/81

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 302] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 1981/भाद्र 16, 1903

No. 302] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 7, 1981/BHADRA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1981

सा.का.नि. 508(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1970 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. छुट्टी.—(1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर यह उसको छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों के विषय में, वह, यथास्थिति,, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के उपबन्धों और उनके अधीन बनाए नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे :

परन्तु जहां अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय का सेवारत कोई न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य बना रहता है वहां वह छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों के विषय में यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के नययाधीश के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पद की शेष अवधि के लिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा :

(2) किसी व्यक्ति के, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश नहीं है अध्यक्ष या सदस्य के

रूप में नियुक्त किए जाने पर वह छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों के विषय में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा ;

परन्तु जहां कोई ऐसा सरकारी अधिकारी जिसको केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 लागू नहीं होते, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां वह छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों के विषय में, ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसको लागू नियमों द्वारा शासित होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 6क का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. ए 12018/1/81-प्रशा. 1]

एस. सी. मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1981

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Leave.—(1) A serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, appointed as Chairman or Member shall continue to be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the provisions of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or, as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), and the rules made thereunder :

Provided that where a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, appointed as Chairman or Member continues to be Chairman or Member after his retirement from service as a Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, from the date of his retirement as a Judge of the Supreme Court or, as the case may be, of a High Court, for the remaining period of his term of office.

(2) A person not being a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, appointed as Chairman or Member shall be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 :

Provided that where an officer of Government to whom the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, are not applicable, is appointed as Chairman or Member, he shall be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the rules applicable to him before such appointment."

3. Rule 6A of the said rules shall be omitted.

[F. No. A-12018/1/81-Admn. I]

S. C. MITTAL, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1981